4(m) 2025/714

फर्द अहकाम

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थीगण :– रेवन्त सिंह दत्तक पुत्र घुकल सिंह जाति राजपूत निवासी पावटा तहसील मौलासर जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– दशरथ सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी पावटा तहसील मौलासर जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. सख्या **246/2025** सन्–**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
16.12.2025	प्रार्थी रेवन्त सिंह दत्तक पुत्र घुकल सिंह जाति राजपूत निवासी पावटा तहसील मौलासर जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दशरथ सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी पावटा तहसील मौलासर जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान वगै. के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थीगण श्री केशव औझा के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी पेशी तक सरहद पावटा, पटवार हल्का छापरी कला के वर्तमान खसरा संख्या 293, 375/293, 393/293, 161, 114 116 117 की भूमि में विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेंगे व राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायें रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट** :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना न होने पर उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक **16.01.2026** को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested

Not press

[illegible]

06.01.26

वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को आज की तारिख पेशी में लेने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। पत्रावली पेश हुई। साथ ही प्रकरण को जरिये नोट प्रेस खारिज करवाने का भी निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। पत्रावली जरिये नोट प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी,
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested